राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –144/2024 प्रा0पत्र

अनवान

1. कंकूदेवी पत्नी अर्जुनसिंह जाति रावत, उम्र 50 वर्ष निवासी देवराज नगर, फुतियाखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द।
2. सीमादेवी पत्नी नारायणसिंह जाति रावत, उम्र 50 वर्ष निवासी देवराज नगर, फुतियाखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.... प्रार्थीयागण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील भीम जिला राजसमंद

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीयागण की ओर से अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिह चौहान
2. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः–12/11/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयागण उपस्थित। प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा देवराज नगर, पटवार हल्का बरार, भू अभिलेख क्षेत्र बरार, तहसील भीम मे कृषि भूमि खसरा संख्या 15451/11334, रकबा 05 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजी पदमसिंह पिता दुर्गसिंह को राज्य सरकार द्वारा आवंटित हुई परंतु आवंटी को प्रार्थीयागण के पूराने कब्जे के स्थान पर कब्जा दिया गया। पदमसिंह पिता दुर्गसिंह की मृत्यु उपरांत उनके वारिसान के स्वामित्व मे आने पर उन्होने अलग अलग समय नर्बदा पत्नी पूनमसिंह, संतोष देवी पत्नी नारायणलाल, सुनिता पत्नी राजेन्द्रकुमार को विक्रय की और जहां वे काबिज थे उसी स्थान पर कब्जा दिया गया।
पदमसिंह पिता दुर्गसिंह को आवंटित भूमि के पडौस निम्न प्रकार है–

1. उत्तर में आम रास्ता
2. दक्षिण में बिलानाम पड़त भूमि
3. पूर्व में कन्कूदेवी पत्नी अर्जुनसिंह का बाडा
4. पश्चिम में नर्बदादेवी पत्नी श्री पूनमसिंह की खातेदारी भूमि

यह कि उक्त आवंटन के पश्चात नक्शा डिजीटलीकरण के समय आवंटन के वास्तविक स्थान पर नक्शे में तरमीम ना किया जाकर हमारे स्वामित्व एवं आधिपत्य की जगह तरमीम की

Scanned with OKEN Scanner

गयी। जिससे मौके पर काफी भ्रांतिया उत्पन्न होकर विवाद हो रहा है इसलिए उक्त भूमि के भू राजस्व नक्शे मे शुदिकरण किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीयागण द्वारा साक्ष्य में उपजिलाधीश भीम द्वारा प्रार्थीया की सासू हंजा पत्नी मोतीसिंह रावत को 12/06/1987 को खसरा संख्या 11334 में से 5 बीघा भूमि आवंटन का आदेश संलग्न किया।

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थीया की उक्त खसरे में आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन नहीं है अपितु बिलानाम ही दर्ज है। बाद में 11334 में से नामान्तकरण संख्या 315 द्वारा आवंटन से 5 बीघा भूमि पदमसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह रावत के नाम दर्ज हुई जिसका वर्तमान खसरा संख्या 15451/11334 है परन्तु आवंटन आदेश के साथ नक्शा संलग्न नहीं है। मौके पर खसरा नम्बर 15451/11334 के खातेदारो का जहां कब्जा है वहां नक्शे में तरमीन नहीं है।

दौराने बहस वकील प्रार्थीयागण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थीयागण के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। प्रार्थीयागण ने वादग्रस्त आराजी के वास्तविक तरमीम तथा स्वयं को आवंटित आराजी के वास्तविक तरमीम संबंधी किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये है, साथ ही अप्रार्थी तहसीलदार भीम के जवाब का अवलोकन करने पर भी तरमीम शुदि उचित प्रतीत नहीं होती है। उक्त आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/11/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
भीम